न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 50 / 19	17–09–2019	15–10–2019

1–जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय पंजीकृत कार्यालय 102 कंचन अपार्टमेन्ट एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने तिलक नगर जयपुर राज0 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय जे0डी0एफ0 जयपुर में स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी

–::बनाम ::–

1–मैसर्स जेनीसिस इन्फ्राटेक प्रा0लि0 जरिये निदेशक पता प्लॉट नं0 310–311 तृतीय तल विपुल अगोरा एम0जी0 रोड गुडगॉवा हरियाणा–122002
2–श्री संजय साहनी पुत्र श्री बलराम शक्ति सहाय पता टीजी 2–8बी आर्चिड गार्डन सन सिटी सेक्टर 54 गुडगॉवा हरियाणा–122008
3–श्री ललित सन्दुजा पुत्र मोहन लाल सन्दुजा पता मकान नं0 बी0–122 ओकवुड एस्टेट डीएलएफ सिटी फेज 2 गुडगॉवा हरियाणा–122008
4–श्री पंकल मेहता पुत्र सामे प्रकाश मेहता पता मकान नं0 सी–4 सी–092 कार्लटोन डीएलएफ फेज–5 गुडगॉवा हरियाणा–122008
5–मैसर्स नेक्स्टजेन कोमोट्रेड प्रा0 लि0 जरिये निदेशक ललित सन्दुजा पता जे 81 भू–तल साकेत नई दिल्ली–110017

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति ग्राम उछपुर ग्राम पंचायत महनपुर तहसील बानसूर जिला अलवर 301701 राज. में स्थित है **मैसर्स जेनीसिस इन्फ्राटेक प्रा0लि0 की व्यावसायिक सम्पत्ति जिसमें आल अनसोल्ड एण्ड लीज आउट / लेट आउट युनिटस जो प्रोजेक्ट जेनीसिस माल खसरा नं0 485,486 व 490 ग्राम खानपुर तहसील तिजारा अलवर बाईपास रोड भिवाडी राजस्थान पर स्थित है**, को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति **तहसीलदार तिजारा–जिला अलवर** को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **15–10–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
अलवर (राज०)